

राजस्थान सरकार,
प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग

क्रमांक: प.6(24)प्र.सु./अनु.-3/2010

दिनांक: 29.4.2010

आदेश

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के इण्डिया स्टेटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट (आई.एस.एस.पी.) के तहत राज्य के सांख्यिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्य के स्टेट स्ट्रेटिजिक स्टेटिस्टिकल प्लान (एस.एस.एस.पी.) का अनुमोदन करने एवं इस प्रोजेक्ट से सम्बन्धित विभागों/एजेन्सियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए जाने हेतु उच्चस्तरीय स्टियरिंग कमेटी का निम्नानुसार गठन महामहिम राज्यपाल महोदया की स्वीकृति से एतद् द्वारा किया जाता है:-

- | | |
|--|------------|
| 1. मुख्य सचिव | अध्यक्ष |
| 2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास)- | सदस्य |
| 3. सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार
अथवा उनका प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त | सदस्य |
| 5. प्रमुख शासन सचिव, कृषि | सदस्य |
| 6. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन | सदस्य |
| 7. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व | सदस्य |
| 8. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा | सदस्य |
| 9. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य | सदस्य |
| 10. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास | सदस्य |
| 11. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास | सदस्य |
| 12. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज | सदस्य |
| 13. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | सदस्य |
| 14. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना | सदस्य |
| 15. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा | सदस्य |
| 16. प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन | सदस्य |
| 17. शासन सचिव, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग | सदस्य |
| 18. क्षेत्रीय उप महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जयपुर
सम्भाग | सदस्य |
| 19. निदेशक एवं पदेन उप सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग | सदस्य सचिव |

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य विभाग/संस्थान के प्रतिनिधि को विशिष्ट सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेंगे।

एस.एस.एस.पी. के क्रियान्वयन की समीक्षा करने व आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करने हेतु आवश्यकतानुसार इस समिति की बैठकें आयोजित की जावेगी।


समिति का प्रशासनिक विभाग आयोजना (ग्रुप-1) विभाग होगा। यह समिति एक अस्थाई समिति होगी जो कि उक्त प्रोजेक्ट की समाप्ति तक कार्यरत रहेगी।

आज्ञा से,


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास), राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. प्रमुख शासन सचिव, वित्त, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन शासन सचिवालय, जयपुर।
19. शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. क्षेत्रीय उप महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, मानसरोवर, जयपुर।
21. निदेशक एवं पदेन उप सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर को आदेश की अतिरिक्त प्रतियां समस्त सम्बन्धित को वितरण हेतु प्रेषित है।


अनुभागाधिकारी